

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्राथी : श्रीमती कंचन

बनाम

विपक्षी : श्रीमती नाथी

किस्म मुकदमा - धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या : 13/22

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

पत्रावली संख्या  
क्रमांक

दिनांक : 29.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपरिथत। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बताया कि वादीया द्वारा एक अन्य वाद प्रकरण संख्या 140/22 अनवान कंचन बनाम भंवरलाल पेश किया जा चुका हैं जिसमें इस वाद की वादग्रस्त आराजीयात को शामिल करते हुये अन्य आराजीयात को शामिल करते हुये वाद पेश किया गया है जिससे अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने पाया की वादीया द्वारा एक अन्य वाद प्रकरण संख्या 140/22 अनवान कंचन बनाम भंवरलाल का पेश किया जा चुका हैं जिसमें इस वाद की वादग्रस्त आराजीयात को भी शामिल किया गया है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अतः अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से वादीया का वाद व प्रतिवादी का काउन्टर वाद इसी स्तर पर झोप किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

